दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **शंकर बनाम बुद्धाराम** **दीवानी वाद संख्या 31/2018** **सीआईएस संख्या 137/2018**	अनुपालना टिप्पणी
03–05–2025	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 31–05–2024 वास्ते दस्तावेज पेश किये जाने बाबत पर सुनी गयी । दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि वादी अपनी माता ताराबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र व बिजली–पानी के बिल आदि दस्तावेज पेश करना चाहता है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु सुसंगत है। अतः दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जावे। वही दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये कथन किया गया कि जिरह के दौरान वादी से उसकी माता के मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बंध में प्रश्न किया गया था, वादी अपनी माता के मृत्यु प्रमाण पत्र की आड में अन्य दस्तावेज भी पेश करना चाहता है जो कि हस्तगत प्रकरण में सुसंगत नहीं है। किसी प्रकार वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद घोषणा व विभाजन की डिक्री हेतु पेश किया गया है। वादी द्वारा अपनी माता ताराबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली–पानी के बिल व अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश करना चाहा गया है। जो दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत प्रतीत होते है। प्रकरण में पी.डब्ल्यू.1 से जिरह पूर्ण हो चुकी किन्तु पी.डब्ल्यू 2 से जिरह होना शेष है, जिसमें साक्ष्य वादी के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज के सम्बंध में जिरह का पर्याप्त अवसर अधिवक्ता प्रतिवादीगण को प्राप्त होगा लेकिन साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज पूर्व से ही वादी के पास तथा उसकी जानकारी में थे। अतः दस्तावेज देरी से पेश किया जाना दर्शित है, लेकिन न्यायालय के मत में देरी की पूर्ति कोस्ट पर की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 500/– रूपये की कोस्ट अधिरोपित कर स्वीकार कर दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश सुनाया गया। कोस्ट की राशि लिटिगेशन वेलफेयर फण्ड में जमा करवाकर नियमानुसार रसीद न्यायालय में पेश करे। पत्रावली वास्ते शेष जिरह वादी हेतु दिनांक 23–07–2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3, अजमेर**	